



Parliament of India-Part-1



Presented By:

Er. Gaurav Pandey

M.Tech NIT JALANDHAR

PhD IIT-R (Pursuing)

The Parliament is the legislative organ of the Union Government. **Part V** of the Constitution from **Article 79 to Article 122** which deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, powers, and so on of the Parliament.

Article 79 : There shall be a Parliament for the Union

There shall be a Parliament for the Union which shall consists of the President and two Houses to be known respectively as the Rajya

Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People).

संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक का भाग V जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, शक्तियों आदि से संबंधित है।

अनुच्छेद 79 : संघ के लिए एक संसद होगी

संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्य सभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोक सभा) के रूप में जाना जाएगा।

President as part of Parliament

- India's parliament is constituted on the basis of the principle of "**Bicameralism**", so it has two chambers. The two houses are Lok Sabha (LS) and Rajya Sabha (RS).
- In India, the **Parliament comprises President, Lok Sabha, and Rajya Sabha but the President is NOT a part of the legislature.**
- This is in line with the British parliamentary system where the Parliament is comprised of Monarch, House of Lords, and House of Commons.
- Though the **President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meetings, he is an integral part of the Parliament.**


संसद के भाग के रूप में राष्ट्रपति

- भारत की संसद का गठन "द्विसदनीयता" के सिद्धांत के आधार पर किया गया है, इसलिए इसमें दो कक्ष हैं। दो सदन लोकसभा (एलएस) और राज्यसभा (आरएस) हैं।
- भारत में, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा शामिल हैं लेकिन राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं है।

· यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अनुरूप है जहां संसद में मोनार्क, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं।

· यद्यपि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए नहीं बैठता है, वह संसद का एक अभिन्न अंग है।

RAJYA SABHA: Composition of Rajya Sabha




Article 80 gives the details of the composition of the Rajya Sabha.

Rajya Sabha or **Council of States** is the **Upper House** of our parliament. The other term that is used is “**House of Elders**”.

The **Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.**

The **maximum membership** to Rajya Sabha is limited to **250**. A maximum of 238 Members elected by representatives of the States & Union Territories.

- A maximum of **12 members nominated by the President of India** who excel in **Literature, Science, Art, and Social Service**.
- Representatives of the states are elected by the elected members of the Legislative Assembly of the state in accordance with the System of Proportional Representation by means of Single Transferable Vote. (Indirect Election)
- The **present strength of the Rajya Sabha is 245, of whom 233 are representatives of the States/Union Territories and 12 are nominated by the President.**
- **(238 - 233= 5 seats are kept in reserve if in case to allot to areas like Aksai Chin & POK in future)**



राज्य सभा: राज्यसभा की संरचना

अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना का विवरण देता है।

राज्य सभा या राज्यों की परिषद हमारी संसद का उच्च सदन है। दूसरा शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है वह है "प्राचीनों का घर"।

संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 250 तक सीमित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अधिकतम 238 सदस्य।

- साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अधिकतम 12 सदस्य।
- राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल स्थानान्तरण मत के माध्यम से किया जाता है। (अप्रत्यक्ष चुनाव)
- राज्य सभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- (238 - 233 = 5 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं यदि भविष्य में अक्साई चिन और पीओके जैसे क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है)

Election of the Rajya Sabha Members

- 233 members of the Present Rajya Sabha are elected by the various State Legislative Assemblies so the Council of States is an "**Indirectly Elected Body**".
- Each State is allotted a certain number of seats (based on its population) in the Rajya Sabha. The allocation of seats in Rajya Sabha is contained in the Fourth Schedule to the Constitution.
- The elected members of the (233 Members) Rajya Sabha are elected by the elected members of the Assemblies of States and the two Union Territories of Delhi and Puducherry in accordance with the **system of proportional representation by means of the single transferable vote.**
- All the States do not send equal number of members to the Rajya Sabha. Their representative number is decided on the basis of population of the respective State. Therefore, the bigger State gets higher representation and the smaller ones have lesser representation.

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव

- वर्तमान राज्य सभा के 233 सदस्य विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं इसलिए राज्य परिषद एक "अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय" है।
- प्रत्येक राज्य को राज्य सभा में एक निश्चित संख्या में सीटें (उसकी जनसंख्या के आधार पर) आवंटित की जाती हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में निहित है।

• राज्य सभा (233 सदस्य) के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के दो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं।

• सभी राज्य राज्यसभा में समान संख्या में सदस्य नहीं भेजते हैं। उनकी प्रतिनिधि संख्या संबंधित राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। इसलिए, बड़े राज्य को उच्च प्रतिनिधित्व मिलता है और छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता है।

MEMBERS OF RAJYA SABHA (STATE WISE LIST) AS ON :- Thursday, April 7, 2022

Sno	State	No of Seats	No of Members	Vacancies
1	Andhra Pradesh (AP)	11	11	
2	Arunachal Pradesh (AR)	1	1	
3	Assam (AS)	7	7	
4	Bihar (BR)	16	14	2
5	Chhattisgarh (CHT)	5	5	
6	Goa (GOA)	1	1	
7	Gujarat (GJ)	11	11	
8	Haryana (HR)	5	5	
9	Himachal Pradesh (HP)	3	3	
10	Jammu & Kashmir (J & K)	4	0	4
11	Jharkhand (JHK)	6	6	
12	Karnataka (KAR)	12	11	1
13	Kerala (KR)	9	9	
14	Madhya Pradesh (MP)	11	11	
15	Maharashtra (MH)	19	19	
16	Manipur (MN)	1	1	
17	Meghalaya (MGH)	1	1	
18	Mizoram (MZ)	1	1	
19	Nagaland (NG)	1	1	
20	National Capital Territory of Delhi (DL)	3	3	
21	Nominated (NOM.)	12	12	
22	Odisha (OR)	10	10	

23	Puducherry (PUD)	1	1	
24	Punjab (PB)	7	6	1
25	Rajasthan (RJ)	10	10	
26	Sikkim (SK)	1	1	
27	Tamil Nadu (TN)	18	18	
28	Telangana (TG)	7	6	1
29	Tripura (TR)	1	1	
30	Uttar Pradesh (UP)	31	31	
31	Uttarakhand (UTK)	3	3	
32	West Bengal (WB)	16	16	
Total:		245	236	9

LOK SABHA

TEMPORARY

EVERY
5
YEARS



RAJYA SABHA

PERMANENT

EVERY 2 YEARS

1/3 MEMBERS RETIRE



TERM 6 YEARS

Let's take example of Haryana, which has 90 MLAs, and 5 Rajya Sabha Seats. In every 2 years one-third members will retire, i.e $5/3 = 2$ seats (approx). To fill these 2 RS seats,

PROPORTIONAL REPRESENTATION THROUGH
SINGLE TRANSFERABLE VOTE

EXAMPLE - 5 CANDIDATES



VACANCY = 2



value of vote = $90 \times 100 = 9000$

quota = $\frac{9000}{2 + 1} + 1 = 3001$

$\frac{3001}{100} = 30$

Haryana Vidhan Sabha is conducting elections, and 5 Candidates are contesting elections for these 2 vacant seats.

90 MLA

5 CANDIDATES
A - B - C - D - E

VACANCY = 2

1ST ROUND

3	A
5	B
1	C
4	D
2	E

A = 20
B = 30 ✓
C = 10 ✗
D = 10 ✗
E = 20

2ND ROUND

A = 20 + 10 = 30 ✓
E = 20 + 5 = 25

LOK

SABHA: Composition of Lok Sabha

- The Lok Sabha, constitutionally the House of the People, is the lower house of India's bicameral Parliament, with the upper house being the Rajya Sabha. Members of the Lok Sabha are elected by an adult universal suffrage and a first-past-the-post system to represent their respective constituencies, and they hold their seats for five years or until the body is dissolved by the President on the advice of the council of ministers.
- The age for being eligible to voting, prior to the 61st amendment act was 21 years. The Constitution 61st Amendment Act 1988 reduced the age to be eligible to vote for 18 years.
- The house meets in the Lok Sabha Chambers of the Sansad Bhavan, New Delhi. The maximum membership of the House allotted by the Constitution of India is 550 (Initially, in 1950, it was 500).
- Currently, the house has 543 seats which are made up by the election of up to 543 elected members and at a maximum. Between 1952 and 2020, 2 additional members of the Anglo-Indian community were also nominated by the President of India on the advice of Government of India, which was abolished in January 2020 by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019.
- The Lok Sabha has a seating capacity of 550. A total of 131 seats (24.03%) are reserved for representatives of Scheduled Castes (84) and Scheduled Tribes (47). The quorum for the House is 10% of the total membership.

- The Lok Sabha, unless sooner dissolved, continues to operate for five years for time being from the date appointed for its first meeting. However, while a proclamation of emergency is in operation, this period may be extended by Parliament by law or decree.
- An exercise to redraw Lok Sabha constituencies' boundaries is carried out by the Boundary Delimitation Commission of India every decade based on the Indian census, last of which was conducted in 2011. This exercise earlier also included redistribution of seats among states based on demographic changes but that provision of the mandate of the commission was suspended in 1976 following a constitutional amendment to incentivize the family planning program which was being implemented.
- The 17th Lok Sabha was elected in May 2019 and is the latest to date.
- The Lok Sabha has its own television channel, Lok Sabha TV, headquartered within the premises of Parliament. Lok Sabha TV was an Indian public cable television network channel that offered coverage of central government proceedings and other public affairs programming.
- The channel broadcast live and recorded coverage of the Lok Sabha (lower house of Parliament) while Rajya Sabha TV covered the sessions of the Rajya Sabha (upper house of Parliament).
- In 2021, Lok Sabha TV merged with Rajya Sabha TV to form Sansad TV.
- It should be noted here that we have joint electorate and all the voters of the reserved constituency vote. There is no separation of voters in terms of caste or tribe).
- The representation to the Lok Sabha is based on population. Therefore UP sends 80 members whereas smaller States like Mizoram, Nagaland send just one representative each to the Lok Sabha.

लोकसभा: लोकसभा की संरचना

• लोक सभा, संवैधानिक रूप से लोक सभा, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्य सभा है। लोकसभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे पांच साल तक या जब तक राष्ट्रपति की सलाह पर शरीर को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद्।

• 61वें संशोधन अधिनियम से पहले मतदान के लिए पात्र होने की आयु 21 वर्ष थी। संविधान 61वें संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान के लिए पात्र होने की आयु को 18 वर्ष कम कर दिया।

- सदन संसद भवन, नई दिल्ली के लोकसभा कक्षों में मिलता है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 550 है (शुरुआत में, 1950 में, यह 500 थी)।
- वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे जनवरी 2020 में 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
- लोकसभा में 550 की बैठने की क्षमता है। कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है।
- लोकसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- भारतीय जनगणना के आधार पर भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा हर दशक में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था।
- 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है।
- लोकसभा का अपना टेलीविजन चैनल, लोकसभा टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है। लोकसभा टीवी एक भारतीय सार्वजनिक केबल टेलीविजन नेटवर्क चैनल था जो केंद्र सरकार की कार्यवाही और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग की कवरेज की पेशकश करता था।
- चैनल ने लोकसभा (संसद के निचले सदन) का लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज प्रसारित किया, जबकि राज्यसभा टीवी ने राज्यसभा (संसद के ऊपरी सदन) के सत्रों को कवर किया।
- 2021 में लोकसभा टीवी को राज्यसभा टीवी के साथ मिलाकर संसद टीवी बनाया गया।
- यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे पास संयुक्त मतदाता हैं और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट करते हैं। जाति या जनजाति के मामले में मतदाताओं का कोई अलगाव नहीं है।
- लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। इसलिए यूपी 80 सदस्य भेजता है जबकि मिजोरम, नागालैंड जैसे छोटे राज्य लोकसभा में सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजते हैं।

Duration

- **Lok Sabha has a fixed term of 5 years and can be dissolved by the President at any time.** The original Constitution had a term of Lok Sabha as 5 years. It was **changed to 6 years by the Constitution 42nd Amendment Act** and later reverted to 5 years by the **44th Amendment Act.**
- **Rajya Sabha has an indefinite term and not subject to dissolution (Article 83.1).**
- The **term of an individual Rajya Sabha member is 6 years** and **one-third of its members retire every two years**, in accordance with the rules as prescribed by the parliament of India.
- **While a Proclamation of Emergency is in operation, 5 year period for Lok Sabha may be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.**

अवधि

- लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे राष्ट्रपति किसी भी समय भंग कर सकता है। मूल संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। संविधान 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 6 वर्ष कर दिया गया और बाद में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया।
- राज्य सभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है और यह भंग नहीं हो सकता (अनुच्छेद 83.1)।
- एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और इसके एक तिहाई सदस्य भारत की संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
- जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो, लोक सभा के लिए 5 वर्ष की अवधि को संसद द्वारा कानून द्वारा एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं और किसी भी मामले में उद्घोषणा समाप्त होने के बाद छह महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। संचालित करने के लिए।

Qualifications to Become an MP

As per article 84 of the constitution, a person is qualified to be a member of parliament provided he/she:

- is a citizen of India
- Has completed 30 years of age in case of Rajya Sabha and 25 years in case of Lok Sabha.
- Possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament. The third condition above led the parliament to include other qualifications for MPs in the Representation of People Act (1951).

These qualifications are as follows:

- Only an elector can be elected. Thus, the candidate must be registered as a voter in a parliamentary constituency and must be eligible to vote. If due to any reason the person loses eligibility to vote, he would lose eligibility to contest also. For example if a person is jailed or in lawful detention at the time of elections, he shall not be eligible for voting. However, if a person is in preventive custody, he can vote. These define if a person is able to contest for election of MP or not.

सांसद बनने के लिए योग्यता

संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार, एक व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य है बशर्ते वह:

- भारत का नागरिक है
- राज्य सभा के मामले में 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। ऊपर दी गई तीसरी शर्त ने संसद को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में सांसदों के लिए अन्य योग्यताओं को शामिल करने के लिए प्रेरित किया।

ये योग्यताएं इस प्रकार हैं:

- केवल एक निर्वाचक चुना जा सकता है। इस प्रकार, उम्मीदवार को एक संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और वोट देने के योग्य होना चाहिए। यदि किसी कारण से व्यक्ति वोट देने की पात्रता खो देता है, तो वह चुनाव लड़ने की पात्रता भी खो देगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति चुनाव के समय जेल में या कानूनी रूप से हिरासत में है, तो वह मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति निवारक हिरासत में है, तो वह मतदान कर सकता है। ये परिभाषित करते हैं कि कोई व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ने में सक्षम है या नहीं।

Vacancy of Seats

Article 101 lays down the conditions in which a member of parliament shall vacate his/her seat. The conditions are as follows:

1. If a person is chosen to be a member of both the houses of parliament, he/ she must vacate his / her seat in one of the two houses.
2. If a person is elected both as MLA and MP, then he/she must vacate the seat of MLA, otherwise, the seat of MP shall fall vacant.

3. Disqualification: If the person is disqualified as per **article 102** or **as per the provisions of the Tenth Schedule**, he/she shall vacate the seat.
4. Resignation: To speaker in case of Lok Sabha and to Chairman in the case of Rajya Sabha.
5. Absence without permission: A seat can be declared vacant if a member absents himself from all meetings of the house for a period of 60 days.
6. Other cases: A member has to vacate his seat in the Parliament:
 - (a) if his election is declared void by the court;
 - (b) if he is expelled by the House;
 - (c) if he is elected to the office of President or Vice-President; and
 - (d) if he is appointed to the office of governor of a state.

सीटों की रिक्ति

अनुच्छेद 101 उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें संसद सदस्य अपनी सीट खाली करेगा। शर्तें इस प्रकार हैं:

1. यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में चुना जाता है, तो उसे दोनों सदनों में से किसी एक में अपनी सीट खाली करनी होगी।
2. यदि कोई व्यक्ति विधायक और सांसद दोनों के रूप में चुना जाता है, तो उसे विधायक की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा, सांसद की सीट खाली हो जाएगी।
3. अयोग्यता: यदि व्यक्ति अनुच्छेद 102 के अनुसार या दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है, तो वह सीट खाली कर देगा।
4. त्यागपत्र: लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्य सभा के मामले में सभापति को।
5. अनुमति के बिना अनुपस्थिति: यदि कोई सदस्य सदन की सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो एक सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है।
6. अन्य मामले: एक सदस्य को संसद में अपनी सीट खाली करनी पड़ती है:
 - (ए) यदि उसके चुनाव को अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है;
 - (बी) यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है;
 - (सी) यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाते हैं; और
 - (डी) यदि वह किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में नियुक्त किया जाता है।

Disqualification grounds

The constitution of India has provided (in article 102) that a member of parliament will be disqualified for membership if:

- He holds any office of profit under the Union or state government (except that of a minister or any other office exempted by Parliament)
- He is of unsound mind and stands so declared by a court.
- He is an undischarged insolvent.
- He has ceased to be a citizen of India.
- He is disqualified under any other law by parliament The last condition above led the parliament to include some other conditions for disqualification in Representation of People Act (1951).

These are as follows:

- He must not have been found guilty of certain election offences and corrupt practices
- He must not have been convicted for any offence that results in imprisonment for two or more years. However, detention under preventive detention law is not disqualification.
- He must not have failed to lodge an account of election expenses within stipulated time.
- He must not have been dismissed from government service due to corruption or disloyalty to state.
- He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25 percent share.
- He must not have been convicted for promoting enmity between groups.
- He must not have been punished for supporting social crimes such as untouchability, sati, dowry etc.

अयोग्यता के आधार

भारत के संविधान ने प्रदान किया है (अनुच्छेद 102 में) कि संसद का सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि:

- वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करता है (सिवाय एक मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर)

- वह विकृत दिमाग का है और एक अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
- वह अनुमोचित दिवालिया है।
- वह भारत का नागरिक नहीं रह गया है।
- संसद द्वारा किसी अन्य कानून के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऊपर दी गई अंतिम शर्त ने संसद को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में अयोग्यता के लिए कुछ अन्य शर्तों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया।

ये इस प्रकार हैं:

- उसे कुछ चुनावी अपराधों और भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया होगा
- उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप दो या अधिक वर्षों के लिए कारावास हो। हालांकि, निवारक निरोध कानून के तहत नजरबंदी अयोग्यता नहीं है।
- वह निर्धारित समय के भीतर चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल नहीं होना चाहिए।
- भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया होगा।
- वह एक निगम में निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिए और न ही लाभ का पद धारण करना चाहिए जिसमें सरकार का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा हो।
- समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया होगा।
- छुआछूत, सती, दहेज आदि जैसे सामाजिक अपराधों का समर्थन करने के लिए उसे दंडित नहीं किया गया होगा।

Disqualification on Ground of Defection

Tenth Schedule to Constitution provides for disqualification of the members on ground of defection. Defection refers to desertion of one's party in favour of an opposing one. As per the provisions of the Tenth Schedule, a member may be disqualified if he:

- Voluntarily gives up the membership of his political party which gave him ticket to contest and win
- Votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, unless such voting or abstention has been condoned by the political party within fifteen days.
- A member elected as an independent candidate shall be disqualified if he joins any political party after his election.
- However, a nominated member is allowed to join a political party provided he joins such political party of his choices within a period of six months. After that period, joining a political party would lead to defection and disqualification.

Who decides the question of disqualification?

- The question whether a member is subject to disqualification in all other matters except under 10th schedule (disqualification) is decided by President. However, President should obtain the opinion of the election commission before taking such decision.
- The question of disqualification under Anti-defection / Tenth Schedule is decided by the Chairman in the case of Rajya Sabha {i.e. Vice-President} and Speaker in the case of Lok Sabha.
- **In 1992, the Supreme Court ruled in *Kihoto Hollohan case* that the decision of the Chairman/Speaker in this regard is subject to judicial review on grounds of malafide.**

दलबदल के आधार पर अयोग्यता

संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती है। दलबदल से तात्पर्य किसी विरोधी के पक्ष में अपनी पार्टी का परित्याग करना है। दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, एक सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह:

- स्वेच्छा से अपने उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसने उसे चुनाव लड़ने और जीतने के लिए टिकट दिया था
- जिस राजनीतिक दल से वह संबंधित है, उसके द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान या मतदान से परहेज करता है, जब तक कि राजनीतिक दल द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह के मतदान या बहिष्कार को माफ नहीं किया जाता है।
- एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- हालांकि, एक मनोनीत सदस्य को एक राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति है, बशर्ते वह छह महीने की अवधि के भीतर अपनी पसंद के ऐसे राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। उस अवधि के बाद, एक राजनीतिक दल में शामिल होने से दलबदल और अयोग्यता हो जाएगी।

अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है?

- यह प्रश्न कि क्या कोई सदस्य 10वीं अनुसूची (अयोग्यता) को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अयोग्यता के अधीन है, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। हालांकि, राष्ट्रपति को ऐसा निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी चाहिए।
- दलबदल विरोधी/दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा तय किया जाता है {अर्थात्। उपराष्ट्रपति} और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष।
- 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन मामले में फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष/अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।